



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122020-223458  
CG-DL-E-03122020-223458

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3829]  
No. 3829]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 2020/अग्रहायण 12, 1942  
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 2020/AGRAHAYANA 12, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4367(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के, उप-नियम (3) के, खंड (घ) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-2021 में समाप्ति में अधिसूचना या नियम या आदेश की वैधता कोविड-19 महामारी के कारण 30 जून, 2021 तक विस्तारित की जाएगी।"

[फा. सं. 25/03/2010-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल नियम संख्यांक का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3235(अ), तारीख 22 सितंबर, 2020 को अंतिम संशोधन किया गया था:

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd December, 2020

**S.O. 4367(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: —

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in rule 5, in sub-rule (3), for the proviso in clause (d), the following shall be substituted, namely:-

“Provided that for the purpose of this clause, the validity of notification or rule or order expiring in the Financial Year 2020-2021 shall stand extended upto 30th June, 2021 on account of COVID-19 pandemic.”.

[F.No.25/03/2010-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist ‘G’

**Note:** The principal rules were published *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and was last amended *vide* notification number S.O. 3235(E), dated the 22nd September, 2020.